सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**FORM NO.III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्री सोहनसिंह बनाम श्री पीथासिंह व अन्य

किस्म मुकदमा रेस्टोरेशन प्रार्थना-पत्र मु0न0 34 सन 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24-7-19 | वकील वादी उपस्थित। वादपत्र पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर होकर वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 06-8-19 को पेश हो।<br>(जसमीतसिंह संधू)<br>उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर<br>ब्यावर | |
| 6/8/19 | **वकुला.ए.फरी.उप./पी.ओ.सा.दीगर प्रशा. कार्यो व्यस्त/ राजकार्य हेतु जयपुर पधारे हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी.ओ.सा.के समक्ष दिनांक 14/8/19 को पेश हों।** | |
| 14-08-19 | वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे तथा मूल वाद/टी.आई. प्रा.पत्र पुनः रेस्टोर किंये जाने का निवेदन किया। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि दिनांक 22.07.2019 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में मूल वाद खारिज़ किया गया था। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किए है। कि उक्त दिनांक 22.07.2019 को अन्य न्यायालयों की कार्यवाही में व्यस्त होने से न्यायालय में गैर हाजिर रहे। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किए गए कथन सद्भाविक प्रतीत होते हैं एवं प्रकरण में जानबूझकर अनदेखी किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं मूल वाद/स्थगन प्रार्थना पत्र पुनः नए नम्बर पर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। यह प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>(जसमीतसिंह संधू)<br>उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर<br>ब्यावर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.07 15:19:41 IST
Reason: SelfAttested